

# मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it\_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 1107 स्था/प्रनिबो/2023

भोपाल, दिनांक 18 APR 2023

## // कार्यालय आदेश //

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 07/10/2016 के सिद्धांत को आधार मानकर राज्य बोर्ड की 164वीं बैठक दिनांक 08/02/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार बोर्ड में कार्यरत निम्नलिखित स्थायीकर्मियों, जिन्हें सेवा देते हुए 20 वर्ष से अधिक का समय हो गया है तथा वे तृतीय श्रेणी के निम्नतर सीधी भर्ती के पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, को उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार पदनाम, वेतनमान में नियमित किया जाता है, संबंधित कर्मचारियों की पदस्थापना यथावत रखी जाती है :-

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री माता प्रसाद तिवारी	उपयंत्री	32800-103600
2	श्री सतीश चौकसे	उपयंत्री	32800-103600
3	श्री लालजी मिश्रा	अनुरेखक	19500-62000
4	श्री कृष्णबल्लभ शर्मा	प्रयोगशाला सहायक	25300-80500
5	श्री राघवेन्द्र सिंह	प्रयोगशाला सहायक	25300-80500
6	श्रीमती शारदा पाण्डेय	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
7	श्री योगेन्द्र कुमार द्विवेदी	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
8	श्री विजय कुमार शुक्ला	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
9	श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
10	श्री शिवचरण सिंह	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
11	श्री रामसंतोष शुक्ला	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
12	श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
13	श्रीमती शकुन्तला पैठनकर	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
14	श्री राजेश कुमार सिंह	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
15	श्री अशोक सक्सेना	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
16	श्री योगेन्द्र कुमार वैश	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
17	श्री अरविन्द पारे	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
18	श्री इन्द्रभान मिश्रा	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
19	श्री श्यामस्वरूप खटीक	वाहन चालक	19500-62000
20	श्री विक्रम सिंह चौहान	वाहन चालक	19500-62000

- वर्तमान नियुक्ति अस्थाई है तथा दोनों पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना पर सेवा समाप्त की जायेगी, एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन एवं भत्ते यथास्थिति देय अथवा वसूली योग्य होंगे।
- उपरोक्त वेतन बैंड के साथ-साथ बोर्ड द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।



3. आदेश के अनुपालन में स्थायीकर्मियों को उपरोक्त वेतन एवं भत्ते की पात्रता कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से होगी।
4. उपरोक्त नियुक्ति आदेश दस्तावेजों के सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा। सत्यापन में जानकारी असत्य एवं भ्रामक पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
5. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को स्थानीय सिविल सर्जन से शारीरिक परीक्षण कराकर सेवा में उपयुक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. क्रमांक 10, 14 एवं 16 पर उल्लेखित कर्मचारियों को तकनीकी योग्यता अन्तर्गत टायपिंग परीक्षा पास नहीं होने के कारण नियुक्ति आदेश से एक वर्ष की अवधि में CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाण-पत्र जमा करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
7. आदेश में उल्लेखित कर्मचारियों की वरिष्ठता संबंधी निर्धारण पृथक से किया जावेगा।
8. बोर्ड उपरोक्त आदेश को संशोधित करने अथवा निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

( चन्द्र मोहन ठाकुर )  
सदस्य सचिव

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

क्रमांक 1108 स्था/प्रनिबो/2023  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक

18 APR 202

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अध्यक्ष/सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी/यूनिट हेड, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ..... की ओर सूचनार्थ।
4. वित्त अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. सर्व संबंधित कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. नोटिस बोर्ड/आर्डर बुक/गार्ड फाइल/आईटी शाखा/व्यक्तिगत नस्ती।

( चन्द्र मोहन ठाकुर )  
सदस्य सचिव

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल